फर्द अहकाम

रामजीवण बनाम तहसीलदार फागी

न्यायालय :— उपखण्ड अधिकारी फागी

संख्याः— 20/2025 दावा

	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	2/6/25	पत्रावली पेश हुई है पी0ओ0 साहब अन्य [illegible] व्यस्त है। अतः पत्रावली [illegible]ुसार दिनांक 23/6/25 को पेश है।
	23/6/25	पत्रावली पेश हुई है पी०ओ०साहब अन्य राज कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पुर्वानुसार दिनांक 3/7/25 को पेश है।
	3/7/25	पत्रावली पेश हुई है पी०ओ०साहब अन्य राज कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पुर्वानुसार दिनांक 24/7/25 को पेश है।
	24/7/25	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उप॰ बहस सुनी गई दौराने बहस वादी का वाद डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से टंकित किया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नं. से खा॰ हो दाखिल दफ्तर रहे। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी फागी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मुकदमा नम्बरः– 20 / 2025
निर्णय दिनांकः– 24.07.2025
पीठासीन अधिकारीः– राकेश कुमार ।। (आर0ए0एस0)

रामजीवण पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी श्रीरामगंज तहसील फागी जिला जयपुर।

वादी

बनाम

तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर।

प्रतिवादी

उपस्थित विद्वान अधिवक्ताः– श्री प्रेमचन्द शर्मा अधिवक्ता वादी
पैरोकार सरकार

वाद घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांकः– 24.07.2025

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप्त मे इस प्रकार है कि विवादगस्त आराजी खाता संख्या 141 के आराजी ख0न0 417, 419, 420, 511 कुल किता 4 कुल रकबा 4.2361 हैक्टेयर, खाता संख्या 142 में वर्णित आराजी ख0न0 227 / 1, 227 / 2, 227 / 3, 228, 229, 233 / 1, 233 / 2, 235, 359, 360, 368, 415, 421, 422, 519, 520, 526, 528 कुल किता 18 कुल रकबा 9.0538 हैक्टेयर, खाता संख्या 143 में वर्णित आराजी ख0न0 232, 330, 331, 525 कुल किता 4 कुल रकबा 19.641 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम श्रीरामगंज तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है, जिसका वादी राजस्व रिकार्ड अनुसार खातेदार काश्तकार है तथा मौके पर काबिज काश्त होकर लगान सरकारी जमा करवाता चला आ रहा है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात वादी को अपने पिता दत्तक पिता भोलू पुत्र श्रीलाल से विरासतन नामान्तकरण संख्या 470 दिनांक 03.06.1998 से प्राप्त हुयी है, एवं प्राकृतिक पिता गंगाराम श्रीलाल से विरासतन नामान्तकरण संख्या 443 दिनांक 17.04.1996 से प्राप्त हुयी है, वरवक्त वादी को अपने दत्तक पिता भोलू की विरासतन प्राप्त आराजी का पटवारी हल्का ने नामान्तकरण रामजीवण दत्तक पुत्र भोलू के नाम से खोल दिया गया जबकि रामजीवण पुत्र गंगाराम पि०मु० भोलू के नाम से नही भरा जाकर अकेले रामजीवण पि०मु० भोलू के नाम से भरकर तस्दीक करवा दिया गया जिससे राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता दो अलग – अलग नाम होने से काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है, जिससे वादी दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। इसलिये वादी को यह वाद श्रीमान के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है। जबकि वादी विरासतन समय से मौके पर काविज काश्त होकर शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। वादी रामजीवण दत्तक पुत्र भोलू व रामजीवण पुत्र गंगाराम एक ही व्यक्ति है वादी के अलावा इस ग्राम में इस नाम का अन्य कोई व्यक्ति नही है एवं वादी का राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड

उपखण्ड अधिकारी
फागी

से पूर्णतया सिद्व होता है कि वादी का नाम रामजीवण पुत्र गंगाराम दर्ज है, लेकिन राजस्व रिकार्ड में पिता का नाम अलग–अलग होने के कारण वादी राजस्व रिकार्ड में रामजीवण दत्तक पुत्र भोलू व रामजीवण पुत्र गंगाराम दोनों नामों के स्थान पर एक ही नाम रामजीवण पुत्र गंगाराम राजस्व रिकार्ड में दुरस्त किया जाना कानूनन न्यायोचित है, जिससे वादी राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकें । इसलिये वादी उक्त आराजीयात की घोषणा करवाने का अधिकारी है। अभी हाल ही में दिनांक 20.02.2025 को वादी ने अपना नाम दुरूस्त करवाने पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो पटवारी हल्का द्वारा राजस्व रिकार्ड मे नाम दुरूस्त करने से इंकार कर कहां कि इसकों सक्षम न्यायालय से आदेश के पश्चात ही राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्त किया जा सकता है इसलिये मान्य न्यायालय में वादी द्वारा उक्त वाद घोषणा व दुरस्ती इन्द्राज पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी का वाद कारण दिनांक 20.02.2025 को प्रतिवादी के प्रतिनिधि द्वारा उक्त भूमि वादी के पिता का नाम दुरूस्त करने से इंकार करने एवं कब्जे काश्त से बेदखल करने की ऐलानिया धमकी दिये जाने से उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी है। वादी का वाद अन्दर मियाद प्रस्तुत है। पक्षकारान की विवादित आराजीयात् मान्य न्यायालय के क्षैत्राधिकार में होने से श्रीमान् न्यायालय को इस वाद की सुनवाई का श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी जारी की गई। प्रतिवादी की और से पैरोकार सरकार उपस्थित आये तथा जबाब मय फर्द मौका पर्चा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया तथा अपने जबाब मे बताया की गंगाराम पुत्र श्रीलाल के फौत होंने पर उसकी विरासत का नामान्तकरण रामजीवण के पक्ष मे दिनांक 10.05.1996 को तस्दीक किया गया था। नामान्तकरण सं. 470 भोलू पुत्र श्रीलाल के फौत होने पर रामजीवण द0पु0 भोलू के पक्ष मे दिनांक 15.06.1998 को खोला गया था। रामजीवण पुत्र गंगाराम व रामजीवण द0पु0 भोलू एक ही व्यक्ति होंना बताया है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस मे वाद के तथ्यों को दौहराते हुये वादी का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2076 – 2079 वाके ग्राम श्रीरामगंज के खाता सं0 141 मे रामजीवण दत्तक पुत्र भोलु हिस्सा 1/20 व रामजीवण पुत्र गंगाराम हिस्सा 1/10, खाता सं0 142 रामजीवण दत्तक पुत्र भोलु हिस्सा 1/10 व रामजीवण पुत्र गंगाराम हिस्सा 1/5, खाता सं0 143 रामजीवण दत्तक पुत्र भोलु हिस्सा 1/15 व रामजीवण पुत्र गंगाराम हिस्सा 2/15 दर्ज रिकार्ड है। उक्त विवादग्रस्त आराजी जरिये विरासत नामान्तकरण सं0 443, 470 के द्वारा रामजीवण दत्तक पुत्र भोलु व रामजीवण पुत्र गंगाराम को प्राप्त हुई है। वादी के अन्य दस्तावेजात मे रामजीवण पुत्र गंगाराम अंकित है। तहसीलदार फागी ने भी अपने जबाब मे रामजीवण दत्तक पुत्र भोलु व रामजीवण पुत्र गंगाराम एक ही व्यक्ति होना बताया है। उपरोक्त तथ्यो के प्रकाश मे हम वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी
फागी

अतः वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खाता संख्या 141 के आराजी ख0न0 417, 419, 420, 511 कुल किता 4 कुल रकबा 4.2361 हैक्टेयर, खाता संख्या 142 में वर्णित आराजी ख0न0 227/1, 227/2, 227/3, 228, 229, 233/1, 233/2, 235, 359, 360, 368, 415, 421, 422, 519, 520, 526, 528 कुल किता 18 कुल रकबा 9.0538 हैक्टेयर, खाता संख्या 143 में वर्णित आराजी ख0न0 232, 330, 331, 525 कुल किता 4 कुल रकबा 19.641 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम श्रीरामगंज तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान में स्थित आराजीयात के वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे अंकन रामजीवण दत्तक पुत्र भोलू व रामजीवण पुत्र गंगाराम के नाम दर्ज दोनो हिस्से की आराजी का एक हिस्सा कायम किया जाकर रामजीवण दत्तक पुत्र भोलू का नाम हजफ फरमाया जाकर उसके स्थान पर रामजीवण पुत्र गंगाराम दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है तथा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हिस्सेनुसार वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

24/7/25

(राकेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी फागी
जिला जयपुर

सत्यमेव जयते

रामजीवण बनाम तहसीलदार
मु0नं0:— 20/2025
निर्णय दिनांक— 24.07.2025

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6—7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

बइजलास— राकेश कुमार II (आर.ए.एस.)

उनवान

रामजीवण पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी श्रीरामगंज तहसील फागी जिला जयपुर।

बनाम

तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर।

::— वाद घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती स्थाई निषेधाज्ञा ::—

मु0नं0:— 20/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी श्री प्रेमचन्द शर्मा हाजिर रूबरू मिनजानिब मुदायलह पेश होकर पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादगस्त आराजी खांता संख्या 141 के आराजी ख0न0 417, 419, 420, 511 कुल किता 4 कुल रकबा 4.2361 हैक्टेयर, खाता संख्या 142 में वर्णित आराजी ख0न0 227/1, 227/2, 227/3, 228, 229, 233/1, 233/2, 235, 359, 360, 368, 415, 421, 422, 519, 520, 526, 528 कुल किता 18 कुल रकबा 9.0538 हैक्टेयर, खाता संख्या 143 में वर्णित आराजी ख0न0 232, 330, 331, 525 कुल किता 4 कुल रकबा 19.641 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम श्रीरामगंज तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान में स्थित आराजीयात के वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे अंकन रामजीवण दत्तक पुत्र भोलू व रामजीवण पुत्र गंगाराम के नाम दर्ज दोनो हिस्से की आराजी का एक हिस्सा कायम किया जाकर रामजीवण दत्तक पुत्र भोलू का नाम हजफ फरमाया जाकर उसके स्थान पर रामजीवण पुत्र गंगाराम दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है तथा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हिस्सेनुसार वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी।**

खर्चा इस मुकदमे के निज..........X..........मुबलिग..........X..........बावत..........X..........सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी मय सूद बशरह ....X..........फीसदी..........X..........तक ....X..........का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24/07/2025 को जारी की गई।

दस्तखत..........
उपखण्ड अधिकारी फागी

ओहदा..........

मुहर

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबुत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

24/7/25

उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर